

अनुदान संख्या 31 - विदेश मंत्रालय
GRANT No. 31-MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	3,00	. .	-3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,00
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	3264,03,00	3517,33,00	3393,72,95 -123,60,05
पूरक	Supplementary	253,30,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			107,18,74
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	376,63,00	362,42,38	-14,20,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			18,93,72

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 3.00 लाख रु. का विनियोग तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (12360.05 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 25330.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 49 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.12360.05 lakhs) constituted 49 percent of the supplementary grant of Rs.25330.00 lakhs obtained in March, 2005 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services			
मू.	O.	13017.00	10641.78	11463.53 +821.75
पु.	R.	-2375.22		

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2061" विदेशी मामले	Major Head "2061" External Affairs			
मू.	O.	197546.00		
पू.	S.	7539.00	187222.82	186787.52
पु.	R.	-17862.18		-435.30
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहायोग	Major Head "3605" Technical and Economic Cooperation with Other Countries			
मू.	O.	115839.00		
पू.	S.	17791.00	143149.66	141121.90
पु.	R.	9519.66		-2027.76
(I) पांच शीर्षों के अंतर्गत 777.50 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 711.50 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2061" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-	(I) Provision of Rs.777.50 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.711.50 lakhs accounted for under Major Head "2061"- "Other Expenditure" - under the following heads:-			
(का) "विदेश मंत्रालय छात्रावास" - 111.50 लाख रु. नए खोले गए उप-शीर्ष - "विदेश मंत्रालय छात्रावास और रिहायशी परिसर" में इस उप-शीर्ष का विलयन किए जाने के कारण थे।	(A) "External Affairs Hostels" - Rs.111.50 lakhs - due to merger of this sub-head in newly opened sub-head - "MEA Hostels and Residential Complex".			
(खा) "प्रवासी भारतीय दिवस समारोह" - 600.00 लाख रु. समुद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय को इस विषय को अंतरण किए जाने के कारण थे।	(B) "Celebration of Pravasi Bharatiya Divas" - Rs.600.00 lakhs - due to transfer of subject to Ministry of Overseas Indian Affairs.			
(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-	(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-			
(का) मुख्य शीर्ष "2061" -	(A) Major Head "2061" -			
(क) "दूतावास तथा मिशन" - 85499.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2963.14 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त	(a) "Embassies and Missions" - the original provision of Rs.85499.00 lakhs was augmented to Rs.88462.14 lakhs by			

करके बढ़ाकर 88462.14 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3570.73 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) मिशन/चौकियों में प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण हुई।

(ख) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन” - 138.66 लाख रु. के मूल प्रावधान को 87.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 225.66 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 189.55 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अंशदान के कुछ अंश को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष “3605” - “अन्य देशों के साथ सहयोग-अफ्रीकी देशों को सहायता” - 10454.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 229.61 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 10683.61 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3103.30 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्थानीय प्राधिकारियों से समापन प्रमाणपत्र के प्रतीक्षाधीन होने की वजह से मारीशस में सभा केंद्र के लिए अदायगी जारी न किए जाने और प्रक्रियात्मक समस्याओं की वजह से नामीबिया को गेहूं के आटे की आपूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2061” -

(क) “पारपत्र तथा उत्प्रवास - केंद्रीय पारपत्र तथा उत्प्रवास संगठन” - 9738.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3811.87 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 13549.87 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कुछ पारपत्र कार्यालयों के मामले में किराए/भूमि किराए में वृद्धि न किए जाने के कारण 486.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) “अन्य व्यय - संस्थाओं को अनुदान” - 6050.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 181.31 लाख रु. का

obtaining supplementary grant of Rs.2963.14 lakhs. However, there was a saving of Rs.3570.73 lakhs (including supplementary grant) due to less expenditure by Missions/Posts than anticipated.

(b) “International Co-operation - Other International Organisations”- the original provision of Rs.138.66 lakhs was augmented to Rs.225.66 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.87.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.189.55 lakhs (including supplementary grant) due to non-materialisation of some portion of the contributions.

(B) Major Head “3605” – “Co-operation with Other Countries-Aid to African Countries” – the original provision of Rs.10454.00 lakhs was augmented to Rs.10683.61 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.229.61 lakhs. However, there was a saving of Rs.3103.30 lakhs (including supplementary grant) due to non-release of payment for a convention centre in Mauritius as the completion certificate was awaited from the local authorities and the supply of wheat flour to Namibia could not be effected owing to procedural problems.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2061” -

(a) “Passport and Emigration – Central Passport and Emigration Organisation” – the original provision of Rs.9738.00 lakhs was augmented to Rs.13549.87 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3811.87 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.486.92 lakhs – due to non-increase in rental/ground rent in case of some passport offices.

(b) “Other Expenditure – Grants to Institutions” – the original provision of Rs.6050.00 lakhs was augmented to

पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 6231.31 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो विलंब से कार्यवाही किए जाने की वजह से निधि को जारी न किए जाने के कारण 109.74 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग - नेपाल को सहायता" - 5920.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 697.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 6617.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो नेपाल में विद्यमान राजनीतिक स्थिति की वजह से विभिन्न कार्यकलापों को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण 641.91 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - विदेश मंत्रालय" के अंतर्गत 1547.98 लाख रु. की बचत (12980.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समयोपरि भत्ते, चिकित्सा उपचार, कार्यालय खर्च, विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय होने और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के साथ किराए का निपटान न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय" - 14309.29 लाख रु. की बचत (84100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण हुई।

(खा) "मनोरंजन प्रभार - गणमान्य व्यक्तियों का मनोरंजन" - 474.00 लाख रु. की बचत (2650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बुलेट प्रूफ कारों की खरीद के लिए प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय - सीमाओं का सीमांकन" - 167.58 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकर्ता मंत्रालयों द्वारा प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

Rs.6231.31 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.181.31 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.109.74 lakhs – due to non-release of fund owing to late processing.

(B) Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries-Aid to Nepal" – the original provision of Rs.5920.00 lakhs was augmented to Rs. 6617.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.697.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.641.91 lakhs – due to non-materialisation of various activities owing to prevailing political situation in Nepal.

(IV) Under Major Head "2052" – "Secretariat-Ministry of External Affairs" - saving of Rs.1547.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12980.30 lakhs) was due to less expenditure on overtime allowance, medical treatment, office expenses, advertisement and publicity and non-settlement of rent to New Delhi Municipal Council.

(V) Under Major Head "2061"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Diplomatic Expenditure - Discretionary Expenditure"- saving of Rs.14309.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.84100.00 lakhs) was due to less expenditure than anticipated.

(B) "Entertainment Charges-Entertainment of Dignitaries" - saving of Rs.474.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2650.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for purchase of bullet proof cars.

(C) "Other Expenditure - Demarcation of boundaries"- saving of Rs.167.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to incurring of less expenditure by the agent Ministries than anticipated.

(VI) Under Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बंगला देश को सहायता" - 187.82 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न परियोजनाओं को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "मालदीव को सहायता" - 439.02 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(गा) "म्यांमार को सहायता" - 558.50 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तमानथी पनबिजली परियोजना पर अंतिम पूर्व-साध्यता रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण में विलंब होने की वजह से राष्ट्रीय हाईड्रालिक पावर कारपोरेशन के बिलों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(घा) "आपदा राहत के लिए सहायता" - 259.27 लाख रु. की बचत (510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आवश्यकता होने की वजह से कुछ राहत सहायता को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई, क्योंकि यह शीर्ष आकस्मिक प्रकृति का और प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित है।

(ङ) "बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम" - 320.86 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ कार्यक्रमों के धीमे कार्यान्वयन के कारण हुई।

(च) "मध्य एशिया को सहायता" - 216.30 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किर्गिस्तान में राजनीतिक परिवर्तनों की वजह से बिशकेक में आईटी केंद्र की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 142.20 लाख रु. की बचतें हुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 29 और 35 प्रतिशत थीं।

3. उपर्युक्त बचतें अधिक व्यय द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) मुख्य शीर्ष "2061" - निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत:-

(A) "Aid to Bangladesh"- saving of Rs.187.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs) was due to non - materialisation of various projects.

(B) "Aid to Maldives" - saving of Rs.439.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-implementation of some of the projects owing to unavoidable circumstances.

(C) "Aid to Myanmar" - saving of Rs.558.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-submission of bills of National Hydraulic Power Corporation owing to delayed submission of final pre-feasibility report on Tamanthi Hydroelectric Power Project.

(D) "Aid for Disaster Relief" - saving of Rs.259.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.510.00 lakhs) was due to non-materialisation of some relief assistance owing to less requirement, this head being of contingent nature and related to natural calamities.

(E) "Multilateral Economic Relation Programmes"- saving of Rs.320.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to the slow implementation of some programmes.

(F) "Aid to Central Asia"- saving of Rs.216.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-setting up of IT centre in Bishkek owing to political changes in Khyrghistan.

(VII) Under two heads savings of Rs.142.20 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 29 and 35 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2061" – under the following heads:-

(का) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - संयुक्त राष्ट्र संगठन" - 1436.68 लाख रु. का अधिक व्यय (495.68 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3841.68 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत के अंशदानों की हिस्सेदारी में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "हज पर व्यय" - 250.94 लाख रु. का अधिक व्यय (260.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज सदभावना प्रतिनिधिमंडल की संख्या और प्रतिनियुक्त किए गए कार्मिकों की संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "एमईए छात्रावास और आवासीय परिसर" - 122.63 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) अन्य उप शीर्ष से इस शीर्ष में व्यय का विलयन किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग"- निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत:-

(का) "भूटान को सहायता" - 11907.80 लाख रु. का अधिक व्यय (6885.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 76865.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान की राजकीय सरकार को की गई अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के कारण हुआ।

(खा) "अन्य विकासशील देशों को सहायता" - 813.78 लाख रु. का अधिक व्यय (8079.39 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 28279.39 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफगानिस्तान में चालू परियोजनाओं के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) "आईटीईसी कार्यक्रम" - 510.57 लाख रु. का अधिक व्यय (1900.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4900.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिशनों/चौकियों से व्यय आकड़ों की सूचना देर से प्राप्त किए जाने के कारण हुआ।

(घा) "एससीएएपी कार्यक्रम" - 164.99 लाख रु. का अधिक व्यय (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिशनों/चौकियों से व्यय के ब्यौरे विलंब से प्राप्त किए जाने के

(A) "International Co-operation - United Nations Organisations"- excess of Rs.1436.68 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs 3841.68 lakhs including supplementary grant of Rs.495.68 lakhs) was due to increase in India's share of contributions to the regular budget of United Nations.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Expenditure on Haj"- excess of Rs.250.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.260.00 lakhs) was due to increase in the number of Haj Goodwill Delegates and number of deputationists.

(b) "MEA Hostels and Residential Complex"- excess of Rs.122.63 lakhs (against nil provision) was due to merger of expenditure from another sub head to this head.

(II) Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries" - under the following heads:-

(A) "Aid to Bhutan" - excess of Rs.11907.80 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.76865.00 lakhs including supplementary grant of Rs.6885.00 lakhs) was due to additional commitments made to the Royal Government of Bhutan.

(B) "Aid to Other Developing Countries"- excess of Rs.813.78 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.28279.39 lakhs including supplementary grant of Rs.8079.39 lakhs) was due to increased requirements of funds for ongoing projects in Afghanistan.

(C) "ITEC Programme"- excess of Rs.510.57 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4900.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1900.00 lakhs) was due to late reporting of expenditure figures from Missions/Posts.

(D) "SCAAP Programme"- excess of Rs.164.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to late receipt of details of expenditure from Missions/Posts as large

कारण हुआ क्योंकि उनके द्वारा अत्यधिक व्यय किया गया था।

expenditure was incurred by them.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 74.97 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.74.97 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (1893.72 लाख रु.) 1420.62 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

4. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.1893.72 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.1420.62 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	7000.00		
पु.	R.	-4415.42		
		2584.58	3182.63	+598.05
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	2500.00		
पु.	R.	-1802.30		
		697.70	606.68	-91.02
मुख्य शीर्ष "7605" विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments			
मू.	O.	28163.00		
पु.	R.	4324.00		
		32487.00	32453.07	-33.93

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "7605" - "विदेशी सरकारों को अग्रिम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - विदेश मामले" के अंतर्गत 3817.37 लाख रु. की बचत (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - विदेश मामले" के अंतर्गत 1893.32 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न देशों अर्थात् - एडिनबर्ग, सेनतिआगो, पनामा, परामरिबो तथा तेहरान में संपत्तियों के खरीद प्रस्ताव को प्रशासनिक तथा अन्य कारणों की वजह से मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "7605" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "भूटान सरकार को कर्ज" - 2606.93 लाख रु. का अधिक व्यय (28000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तला पनबिजली परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "बंगलादेश सरकार को कर्ज" - 1684.14 लाख रु. का अधिक व्यय (162.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंगलादेश को लोकोमोटिव आदि की आपूर्ति के लिए लंबित बकाया राशि की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head "7605"- "Advances to Foreign Governments".

(II) Under Major Head "4059" - "Other Buildings-Construction - External Affairs"- saving of Rs.3817.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for purchase of properties.

(III) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - External Affairs"- saving of Rs.1893.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to purchase proposal of properties in various countries viz. Edinburgh, Santiago, Panama, Paramaribo and Tehran did not materialise owing to administrative and other reasons.

5.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "7605" - under the following heads:-

(A) "Loans to Government of Bhutan" - excess of Rs.2606.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for the Tala Hydro Electric Project.

(B) "Loans to Government of Bangladesh" - excess of Rs.1684.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.162.00 lakhs) was due to the payment of balance amount pending for supply of locomotives etc. to Bangladesh.